न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–66 / 2020
जी.सी.एम.एस नं.–2020 / 00174

1. करण उम्र 18 वर्ष नाबालिग पुत्र नत्थुराम जाति सुथार निवासी चक 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिए कुदरतीवली माता मनावती पत्नी नत्थुराम जाति सुथार निवासी चक 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. अनूज उम्र 14 वर्ष नाबालिग पुत्र नत्थुराम जाति सुथार निवासी चक 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिए कुदरतीवली माता मनावती पत्नी नत्थुराम जाति सुथार निवासी चक 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––प्रार्थीगण

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र दानाराम जाति सुथार निवासी चक 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. ज्योति पुत्री दानाराम पत्नी सत्यनारायणराम जाति सुथार निवासी भाभुवाली ढ़ाणी चैनापैमा पीलीबगा जिला हनुमागढ़ (राज.)
3. भुपेन्द्रसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 के (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. हरजिन्द्रसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 के (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. सुखविन्द्रसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 के (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. संजयकुमार पुत्र भुपेन्द्र जाति सुथार निवासी चक 6 जे के एम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील उपस्थित

1. श्री दिनेश कुमार कामरा एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 की ओर से
3. श्री बलदेवसिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं.–2 व 6 की ओर से
4. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं.–3 ता 5 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:33 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–20/4/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के दादा दानाराम वल्द हनुमान कौम सुथार साकिन चक 16 एलएम के नाम से चक 18 एसजेएम पत्थर सं. –293/384 मुरब्बा नं.–25 का किला नं.–1 ता 25 कुल 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि वर्ष 1978 में आवंटित हुई थी। जिसमें से 12.10 बीघा भूमि दानाराम ने अपने जीवनकाल में विक्रय कर दी तथा तथा उक्त भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 22.02.1994 को जारी हुई तथा दानाराम की उक्त भूमि उनकी स्वंय अर्जित सम्पति थी। खातेदारी प्राप्त होने के बाद प्रार्थीगण के दादा ने अपने जीवनकाल में शेष बची भूमि किला नं–3, 4, 5, 6, 7 8, 13 ता 18 कुल 3.0360 हैक्टर यानि 12 बीघा भूमि प्रार्थीगण को वसीयत में देकर दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 23.02.2011 को प्रार्थीगण के पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करवा दी थी। प्रार्थीगण के दादा दानाराम का दिनांक 05.04.2011 को देहांत हो चुका है। चक 18 एसजेएम तहसील अनूपगढ पत्थर सं.–293/384 मुरब्बा नं.–25 किला नं–3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ता 18 कुल 3.0360 हैक्टर यानि 12 बीघा भूमि को वाद पत्र में आयंदा वादाधीन कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। चित्र प्रति जमाबंदी व वसीयत सलग्न वाद पत्र है। अप्रार्थी सं.–1 जो कि प्रार्थीगण का पिता है तथा अत्यधिक शराब का सेवन करने का आदि है तथा शराब के नशे में अक्सर घुत रहता है जिसने प्रार्थीगण के हितो की कभी कोई परवाह नही की तथा ना ही अपने पिता के दायित्वों का निर्वहन किया। वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा की स्वर्जित सम्पति होने से उन्होने जरिए पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.02.2011 को प्रार्थीगण के पक्ष में कर दी थी तथा इस तथ्य का अप्रार्थी सं.–1 को अच्छी तरह इल्म था। परन्तु अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थीगण की नाबालिग अवस्था का फायदा उठा कर उक्त वसीयत को प्रकट ना कर प्रार्थीगण के दादा के देहांत के पश्चात अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 ने आपस में दुर्भिसन्धि कर अप्रार्थीया सं.–2 की तरफ से जरिए वादमित्र अप्रार्थी सं.–6 की तरफ से एक प्रार्थना पत्र माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत करवा कर तथा प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के पक्ष में हुऐ वसीयत के तथ्यों को छूपा कर अधिकारों की घोषणा व बंटवारा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया कि प्रार्थीगण के दादा स्व. दानाराम ने अपने जीवनकाल में दो शादीया की थी। जिसमें से दानाराम की पहली पत्नी के गर्भ से अप्रार्थी सं.–1 [illegible] पैदा हुआ तथा पहली पत्नी के देहांत के बाद स्व. दानाराम ने दूसरी शादी [illegible] के साथ की। जिससे अप्रार्थीया सं.–2 ज्योति पैदा हुई। अतः यह स्पष्ट करना [illegible] उपयुक्त प्रतीत होता है कि–रोशनीदेवी ने दानाराम के साथ शादी के समय अपने पहले पति की संतान अप्रार्थी सं. –6 संजय कुमार को साथ लाई थी यानि कि सजंय कुमार रोशनीदेवी का गेलड था जिसने साजयाज कर अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 से मिल कर अप्रार्थीया सं.–2 की तरफ से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:33 IST
Reason: SelfAttested

उसकी नाबालिग अवस्था में जरिए वाद मित्र वाद सं.–34/2011 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जबकि यह किसी प्रकार से ज्योति से हितबद्ध नही था तथा नाही उसे किसी न्यायालय द्वारा सरक्षक अथवा वाद मित्र नियुक्त किया गया था। फिर भी उसने ज्योति की तरफ से वाद प्रस्तुत कर वादाधीन कृषि भूमि अधिकारों की घोषणा व बंटवारा का अनुतोष एक तरफा रूप से दुर्भिसन्धि के तहत माननीय न्यायालय को गुमराह करके निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2013 से प्राप्त किया। जिससे वादाधीन कृषि भूमि में अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 आधा–2 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित हो गरे जिसका इंतकाल सं–200 दिनांक 15.09.2015 को दर्ज किया जाकर दिनांक 17.09.2015 को स्वीकृत किया गया। डिक्री दिनांक 30.07.2013 व इंतकाल सं.–200 दिनांक 17.09.2020 प्रार्थीगण के अधिकारो पर शुन्य, अकृत, निष्प्रभावी है क्योंकि अप्रार्थीया सं.–2 द्वारा प्रस्तुत वाद सं.–34/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2013 में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे तथा प्रार्थीगण उक्त निर्णय व डिक्री से बाध्य नहीं है तथा ना ही ऐसे निर्णय च डिक्री के आधार से हुऐ इंतकाल से बाध्य है तथा ना ही इससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित होते हैं। इंतकाल सं.–200 दिनांक 17.09. 2015 दर्ज होने के बाद अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाया तथा अप्रार्थी सं.–7 के आदेश क्रमांक 4304 दिनांक 24.11.2016 की पालना में इंतकाल सं.–216 दिनांक 24.11.2016 को दर्ज होकर दिनांक 25.11.2016 को स्वीकृत किया गया। खाता विभाजन अनुसार अप्रार्थी सं.–1 को वादाधीन कृषि भूमि पत्थर सं. –293/384 मुरब्बा नं.–25 का किला नं.–3 सालम, किला नं–5, 6 सालम, किला नं.–8 सालम, किला नं.–15, 18 सालम कुल 1.518 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई व अप्रार्थीया सं.–2 को किला नं.–4 सालम, किला नं.–7 सालम, किला नं.–13, 14 सालम व किला नं.–17, 18 सालम कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड भूमि प्राप्त हुई तथा खाता विभाजन के बाद खाता विभाजन अनुसार प्राप्त कृषि भूमि में से अप्रार्थीया सं.–2 ने वादाधीन कृषि भूमि मे से किला नं.–13 जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 10.02.2017 अप्रार्थी सं.–5 सुखविन्द्रसिंह को विक्रय कर दी तथा अप्रार्थी सं.–1 ने वादाधीन कृषि भूमि मे से किला नं.–16 का 0.126 हैक्टर जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.04.2017 को अप्रार्थी सं.–5 सुखविन्द्रसिंह को विक्रय कर दी जिसका इंतकाल सं.–220 दिनांक 0505.2017 को अप्रार्थी सं.–5 सुखविन्द्रसिंह के नाम से दर्ज किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुरा की मिटिंग में दिनांक 05.05.2017 को स्वीकृत किया गया तथा अप्रार्थी सं.–1 ने वादाधीन कृषि भूमि में से किला नं.–3 को जरिए पंजीकृत बैयनामा अप्रार्थी सं.–3 भुपेन्द्रसिंह को विक्रय कर दी जिसका इंतकाल सं. –231 दिनांक 20.06.2017 को स्वीकृत किया गया तथा वादाधीन भूमि में से किला नं. –8 सालम, किला नं.–16/1 की 0.127 हैक्टर अप्रार्थी सं.–4 राजिन्द्रसिंह को जरिए पंजीकृत बैयनामा बेचान किया गया। जिसका इंतकाल दिनांक 07.10.2019 को दर्ज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:33 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

स्वीकृत किया गया तथा वादाधीन कृषि भूमि में से किला नं.–5/1की 0.051 हैक्टर व किला नं.–6 सालम अप्रार्थीगण सं.–4 वा 5 को बहिस्सा बराबर विक्रय कर दी। जिसका इंतकाल सं.–234 दिनांक 27.01.2020 को अप्रार्थीगण सं.–4 वा 5 के नाम से दर्ज किया गया। इस प्रकार से वादाधीन कृषि भूमि मेसे अप्रार्थी सं.–1 के पास केवल मात्र किला नं. –5/2 का 0.202 हैक्टर यानि 16 बिस्वा रकबा शेष रहा है जो अप्रार्थी सं.–1 द्वारा जरिए दान पत्र प्रार्थीगण की माता मनावती के नाम से दान पत्र निष्पादित किया गया है जिसमें प्रार्थीगण की उक्त किला नं.–5/2 में ढाणी बनी हुई है जिसमें प्रार्थीगण अभी भी निवास कर रहे है तथा उक्त 16 बिस्वा पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थी सं.–1 ने अपने नाम से दर्ज अन्य समस्त वादाधीन कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं.–3 ता 5 को विक्रय कर दी है तथा अप्रार्थीया सं.–2 के पास वादाधीन कृषि भूमि मे से खाता सं.–27 में किला नं. –4, 7, 14, 17, 18 कुल 5 बीघा भूमि शेष रही है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादाधीन कृषि भूमि चक 18 एस जे एम का पत्थर सं.–293/384 मुरब्बा नं.–25 का किला नं–3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ता 18 कुल 3.0360 हैक्टर यानि 12 बीघा कमाण्ड भूमि को अप्रार्थीगण अन्यत्र रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरित करने से बाज व ममनु रहे तथा प्रार्थीगण को किला नं.–5 में बनी ढ़ाणी सहित 16 बिस्वा भूमि से बेदखल करने से बाज व ममनु रहे तथा अप्रार्थीया सं.–2 के नाम दर्ज वादाधीन कृषि भूमि खाता सं.–27 किला नं–4, 7, 14, 17, 18 का जरिए आदेशात्मक ब्यादेश प्रार्थीगण को कब्जा दिलाया जाने का आदेश प्रदान करे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखने का आदेश पारित किया जावे।

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दानाराम वल्द हनुमान ने कृषि भूमि चक 18 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं. 293/384 मुरब्बा नं.–25 के किला नं.–3 ता 8, 13 ता 18 कुल 12 बीघा भूमि की प्रार्थीगण को वसीयत में नहीं दी और ना ही वसीयतनामा दिनांक 23.02.2011 को प्रार्थीगण के पक्ष में दानाराम ने तहरीर कर पंजीकृत करवाया। विवादित [illegible] की वसीयत कभी प्रार्थीगण के पक्ष में करवाने का इच्छुक था। तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 23.02.2011 दानाराम द्वारा स्वेच्छया, स्वस्थचित से पूर्ण होश हवाश में निष्पादित व पंजीकृत नहीं करवाया है बल्कि फर्जी, कूटरचित व आरंभ से शून्य, मिथ्या दस्तावेज है जिससे प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ना ही उक्त तथाकथित वसीयत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:33 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

आधार पर वादाधीन भूमि प्राप्त करने अथवा नामान्तरण हेतु कभी किसी सक्षम अधिकारी / कर्मचारी अथवा विभाग के समक्ष उक्त तथाकथित वसीयत को प्रार्थीगण अथवा उनकी माता / संरक्षक ने कभी प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 पिता है। अप्रार्थी संख्या 1 शराब सेवन का आदि नहीं है और ना ही शराब के नशे में धुत रहता है। अप्राथर्थी संख्या 1 ने हमेशा समुचित रूप से अपने दायित्यों का निर्वहन किया है और प्रार्थीगण का समुचित लालन–पालन व भरण–पोषण किया है। ना ही दानाराम ने जरिये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.02.2011 के वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थीगण के पक्ष में की। ना ही ना ही प्रार्थीगण की नाबालिग अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आपस में दुर्भिसन्धि कर प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दुर्भिसन्धि के तहत न्यायालय को गुमराह करके निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2013 को प्राप्त किया। न्यायालय द्वारा विधिवध रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2013 पारित किया है जो पूर्णतः प्रभावी एवं विधिसम्मत् है और इस निर्णय व डिक्री के आधार पर इन्तकाल संख्या 200 दिनांक 15.09.2015 को दर्ज किया जाकर दिनांक 17.09.2015 को स्वीकृत किया गया है। उक्त डिक्री दिनांक 30.07.2013 एवं इन्तकाल संख्या 200 दिनांक 17.09.2015 को शून्य, अकृत व निष्प्रभावी करवाने के अधिकारी प्रार्थीगण हैं। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत वाद, डिक्री दिनांक 30.07.2013 एवं इन्तकाल संख्या 200 का आंरभ से ही इल्म प्रार्थीगण को है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य भूमि का खाता विभाजन होने एवं खाता विभाजन का इन्तकाल संख्या 216 दिनांक 24.11.2016 को स्वीकृत होने और विभाजन में अप्रार्थी संख्या–1 को किला नं.–3, 5, 6, 8, 15, 16 कुल 1.518 हैक्टर भूमि प्राप्त होने एवं अप्रार्थी संख्या–2 को किला नं.–4, 7, 13, 14, 17, 18 की कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड भूमि प्राप्त होने और खाता विभाजन के उपरांत अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किला नं.–13 का 0.253 हैक्टर जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनाक 10.02.2017 के किला नं.–13 के अप्रार्थी संख्या 5 सुखविन्द्र सिंह को क्रिय करने, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किला नं.–16 की 0.216 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.04.2017 अप्रार्थी संख्या 5 को किय करने और उक्त किय बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 220 अप्रार्थी संख्या 5 सुखविन्द्र सिंह के पक्ष में दिनांक 05.05.2017 को स्वीकृत होने स्वीकार है, मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वेच्छया पूर्ण होशवाश में वादाधीन कृषि भूमि के किला नं–3 की भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा अप्रार्थी संख्या 3 भूपेन्द्र सिंह [illegible] ला नं.–8 का 0.53 हैक्टर एवं किला नं.–16 का 0.127 हैक्टर अप्रार्थी सं.–4 हरजिन्द्र [illegible] एवं किला नं. 16 का 0.126 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 5 सुखविन्द्र सिंह को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.04.2017 के प्रतिफल की ऐवज में बेचान किया है, बैयनामा के आ[illegible] पर इन्तकाल / नामान्तरण क्रेतागण के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वेच्छया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:33 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पूर्ण होशवाश में वादाधीन कृषि भूमि के किला नं.–15 का 0.253 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 3 भूपेन्द्र सिंह को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 24.07.2017 के प्रतिफल की ऐवज में बेचान किया है और इस बैयनामा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 भूपेन्द्र सिंह के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत हो चुका है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वेच्छया पूर्ण होशवाश में वादाधीन कृषि भूमि के किला नं.–5 का 0.051 हैक्टर, किला नं.–4 का 0.253 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 4 हरजिन्द्र सिंह व अप्रार्थी संख्या 5 सुखविन्द्र सिंह को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 28.12.2018 के प्रतिफल की ऐवज में बेचान किया है और इस बैयनामा के आधार वेक्रेतागण अप्रार्थी संख्या 4 हरजिन्द्र सिंह व अप्रार्थी संख्या 5 सुखविन्द्र सिंह के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत हो चुका है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 को उक्त प्रकार से विवादित खातेदारी कृषि भूमि अपने परिवार पत्नी / सन्तान की सहमति, जानकारी से ऋण अदायगी के लिए एवं परिवार की वैध आवश्यकताओं व पालन पोषण के लिए प्रतिफल की ऐवज में बिक्रय किया है। उक्त बेचान उपरांत अप्रार्थी संख्या 1 के पास केवल मात्र 5/2 का 0.202 हैक्टर यानि 16 विस्वा शेष रकबा रहने जो मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये दान–पत्र प्रार्थीगण की माता मनावती के नाम से दान–पत्र निष्पादित करना और किला नं. 5/2 में 16 रिहायशी ढाणी बने होने का तथ्य स्वीकार है। विवादित कृषि भूमि चक 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ का प.नं.–293/384 मु.नं.–25 के किला नं.–4, 7, 13, 14, 17, 18 की कुल 6 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी जिसके समस्त प्रकार के हक अधिकार व अधिपत्य अपार्थी सं.–2 में निहित थे अप्रार्थी सं.–2 द्वारा अपने वैध उदेश्यों की पुर्ति के लिऐ अप्रार्थी सं.–2 द्वारा अपने नाम की उक्त कृषि भूमि में से कि.नं.–13 के 0.253 हैक्टर जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 10.02.2017 को अप्रार्थी सं.–5 सुखविन्द्रसिहं को विक्रय कर कब्जा भूमि अप्रार्थी सं.–5 को मौका पर सौप दिया तत्पश्चात अप्रार्थी सं.–5 के पक्ष में बैयनामा दिनांक 10.02.2017 के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत हो चुका है तथा वर्तमान में अप्रार्थी सं.–2 के नाम से किला नं. 4, 7, 14, 17, 18 की कुल 5 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो मन अप्रार्थी सं. –2 के शान्तिपूर्वक कब्जा कारत में है जिसके सम्बधं में मन अप्रार्थी को हर प्रकार के हक अधिकार प्राप्त है तथा मन अप्रार्थी सं.–2 के नाम की उक्त कृषि भूमि से प्रार्थीगण का कोई सरोकार नंही है और ना ही प्रार्थीगण मन अप्रार्थी सं.–2 के नाम की दर्ज कृषि भूमि अथवा अप्रार्थी सं.–2 द्वारा अप्रार्थी सं.–5 के पक्ष में करवाए गए पंजीकृत [illegible] को चुनौती देने का कतई विधिक अधिकार प्राप्त नही है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:33 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के दादा

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

दानाराम वल्द हनुमान कौम सुथार के नाम से चक 18 एसजेएम पत्थर सं.–293/384 मुरब्बा नं.–25 का किला नं.–1 ता 25 कुल 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि वर्ष 1978 में आवंटित हुई थी। जिसमें से 12.10 बीघा भूमि दानाराम ने अपने जीवनकाल में विक्रय कर दी तथा उक्त भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 22.02.1994 को जारी हुई तथा दानाराम की उक्त भूमि उनकी स्वंय अर्जित सम्पति थी। खातेदारी प्राप्त होने के बाद प्रार्थीगण के दादा ने अपने जीवनकाल में शेष बची भूमि किला नं–3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ता 18 कुल 3.0360 हैक्टर यानि 12 बीघा भूमि प्रार्थीगण को वसीयत में देकर दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 23.02.2011 को प्रार्थीगण के पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करवा दी थी। प्रार्थीगण के दादा दानाराम का दिनांक 05.04.2011 को देहांत हो चुका है। भूमि पर कब्जा काश्त मे वेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनु रहे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। वाद के विचारण दौरान यदि भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं ऐसी स्थिती में न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक 18 एस जे एम का पत्थर सं.–293/384 मुरब्बा नं.–25 का किला नं–3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ता 18 कुल 3.0360 हैक्टर यानि 12 बीघा कमाण्ड भूमि व किला नं.–5 में बनी ढ़ाणी सहित 16 बिस्वा भूमि से बेदखल करने से बाज व ममनु रहे राजस्व मौका व रिकार्ड यथास्थिति बनाई रखी जावें।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाके चक 18 एस जे एम का पत्थर सं.–293/384 मुरब्बा नं.–25 का किला नं–3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ता 18 कुल 3.0360 हैक्टर यानि 12 बीघा कमाण्ड भूमि व किला नं.–5 में बनी ढ़ाणी सहित 16 बिस्वा भूमि से बेदखल करने से बाज व ममनु रहे राजस्व मौका व रिकार्ड यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांक २०/५/२६ को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:33 IST
Reason: SelfAttested